झाँसी पुलिस

प्रेस नोट

थाना बबीना,झाँसी

दिनांक- 13.11.2026

थाना बबीना पुलिस द्वारा 02 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 13.11.2026 को थाना बबीना पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में दबिश देकर 02 वारंटियों 1. भूपाल पुत्र रामनाथ, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम डुबकी बैदोरा, थाना बबीना, जनपद झाँसी, संबंधित एनबीडब्ल्यू केस नं0 3080/21, अ0सं0 189/20, धारा 379/411 भादवि व 4/21 संबंधित अधिनियम तथा 2. रवि अहिरवार पुत्र बद्री प्रसाद, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम बैदोरा, थाना बबीना, जनपद झाँसी, संबंधित एनबीडब्ल्यू केस नं0 139/17, अ0सं0 90/15, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम को गिरफ्तार किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमती प्रीति सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री सिमरन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बबीना श्री राहुल राठौर के कुशल नेतृत्व में—

आज दिनांक 13.11.2026 को उपरोक्त एनबीडब्ल्यू से संबंधित 02 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

वारण्टी का विवरण-

1. भूपाल पुत्र रामनाथ, निवासी ग्राम डुबकी बैदोरा, थाना बबीना, जनपद झाँसी, उम्र करीब 52 वर्ष
2. रवि अहिरवार पुत्र बद्री प्रसाद, निवासी ग्राम बैदोरा, थाना बबीना, जनपद झाँसी, उम्र करीब 29 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 श्री शिववीर सिंह थाना बबीना जनपद झाँसी।

2.का0 1200 सौरव कुमार थाना बबीना जनपद झाँसी।

3. का0 1183 हरिओम सिंह थाना बबीना जनपद झाँसी।